UPAD010115852022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी., कक्ष सं0–2 प्रयागराज।
पीठासीन :– बिष्णु कुमार मिश्रा (एच.जे.एस.)
दाण्डिक पुनरीक्षण सं0 :– 441 सन् 2022

जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 कामता प्रसाद
निवासी–हाल पता ग्राम अमिलिया तरहार, थाना लालापुर, जनपद प्रयागराज।

....निगरानीकर्ता

बनाम

1. राजू पासी पुत्र अज्ञात
निवासी–ग्राम अमिलिया तरहार, थाना लालापुर, जनपद प्रयागराज।
2. छंगू पासी पुत्र अज्ञात
निवासी–ग्राम मंदूरी, थाना लालापुर, जिला प्रयागराज।
3. राकेश पासी पुत्र स्व. जगपत प्रधान
4. मुरली पासी पुत्र अज्ञात
5. सीताराम पासी पुत्र अज्ञात
समस्त निवासीगण–ग्राम मंदूरी, थाना लालापुर, जनपद प्रयागराज।

....विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रश्नगत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा अन्तर्गत धारा–397 दं.प्र. सं. तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं.3 इलाहाबाद द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं0–262/बारह/2022 जगदीश प्रसाद बनाम राजू पासी आदि, अन्तर्गत धारा–156(3) दं.प्र.सं., थाना लालापुर में पारित आदेश दिनांकित–25.08.22 के विरूद्ध योजित की गई है जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने आवेदक के प्रार्थना पत्र धारा–156(3) दं.प्र.सं. को परिवाद के रूप में दर्ज किया है।

2. संक्षेप में निगरानी में यह आधार लिया गया है कि निगरानीकर्ता दि0–28.2.22 को समय 10 बजे अपने वधशाला के अन्दर बैठा था और निगरानीकर्ता के भाई संतोष कुमार, राजकुमार व निगरानीर्ता के सगे मामा राजाराम का लड़का पिन्टू, गोरेलाल, प्रकाश चढ़ोत्तरी के बकरा की बलि करा रहे थे कि एकाएक सभी विपक्षीगण एकराय होकर निगरानीकर्ता के बकरा वधशाला के गेट को जबरन ठेल कर घुसने लगे तब पिन्टू ने सभी विपक्षीगणों को बकरा वधशाला में घुसने से रोका तब सभी विपक्षीगण आग बबूला हो गये और निगरानीर्ता को मां–बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे तो निगरानीकर्ता ने गाली देने से मना किया तो सभी विपक्षीगण निगरानीकर्ता को जान से मारने की धमकियां दिया तथा विपक्षी छंगू व राजू के

ललकारने पर कि साले का सारा बकरा लूट लो। विपक्षी छंगू व राजू के ललकारने पर मुरली व सीताराम, राकेश ने निगरानीकर्ता का 28 बकरा लोगों को भयभीत करके विपक्षीगण ने निगरानीकर्ता से छीन लिया तथा गल्ले में से 14700/– रू0. विपक्षीगणों ने छीन लिया। निगरानीकर्ता के भाई संतोष कुमार व राजकुमार के शोर मचाने पर गांव के तमाम लोग आ गये और बीच बचाव करने लगे तब छंगू व राजू, सीताराम ने अपने कमर में खोंसे नाजायज कट्टे से हवाई फायर कर घटनास्थल से बकरा व रूपया लेकर भाग गये। अवर न्यायालय ने मामले की गम्भीरता पर कोई ध्यान नहीं दिया और सरसरी तौर से निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र पर परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध व निरस्त होने योग्य है। अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश में अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। अतः निगरानी स्वीकार कर अवर न्यायालय के आदेश को रद्द करके सम्बन्धित थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश करने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गई है।

3. निगरानीकर्ता की ओर से विगत कई तिथियों से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है अतः विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं आक्षेपित आदेश दिनांक–25.08.22 का अवलोकन किया।

4. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–397 में प्राविधान किया गया है कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश, अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी अवर न्यायालय के समक्ष की, किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित या पारित किये गये निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश की (जो अन्तर्वर्ती आदेश न हो) शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा।

5. आलोच्य आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं.3 इलाहाबाद द्वारा दि0–25.8.22 को आवेदक/निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं.प्र.सं. पर सुनकर एवं थाने की आख्या व प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन के उपरान्त यह निष्कर्ष दिया गया है कि,

> *''पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों के परिशलन, मामले एवं तथ्यों को परिस्थितियों को देखते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था* ***राम बाबू गुप्ता बनाम उ.प्र. राज्य आदि 2001 (43) ए.सी.सी.***

पेज–50 में पूर्णपीठ एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुखबासी लाल बनाम उ.प्र.राज्य 2007(2) यू.पी.कि.आर.392 *में पारित दिशा निर्देशों के प्रकाश में प्रश्नगत प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायेाचित प्रतीत होता है। तथा अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं.प्र.सं. को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है।''* उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी योजित की गई है।

6. निगरानी की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक–15.2.23 के उपरान्त से निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी में बल दिये जाने हेतु न तो स्वयं निगरानीकर्ता और न ही उसके अधिवक्ता उपस्थित हो रहे है। ऐसा प्रतीत होता है कि निगरानीकर्ता को अपनी निगरानी को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं रह गयी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थतियों में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा अवैधानिकता दर्शित नहीं होती है और प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–25.08.2022 पुष्ट किया जाता है।

अवर न्यायालय की पत्रावली तलब होकर संलग्न नहीं है अतः निर्णय की प्रति सम्बन्धित अवर न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक–29.08.2023

(बिष्णु कुमार मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.
कक्ष सं0–2, प्रयागराज।
J.O.Code UP-03842

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में, मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–29.08.2023

(बिष्णु कुमार मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.
कक्ष सं0–2, प्रयागराज।
J.O.Code UP-03842